संख्याः– 657/XVII-3/10-07(22)/2009

प्रेषक,

आर0 के0 चौहान,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
हल्द्वानी–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–3 **देहरादून** दिनांक 17 मई, 2010

विषयः–मल्टी सेक्टोरल योजना के सुचारू संचालन हेतु आई0टी0 इनेबल्ड सैल स्थापित किये जाने के लिये विभिन्न कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक संख्या–3/22/2008 (उत्तराखण्ड)–PP-I दिनांक 15 जनवरी, 2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के दो अल्पसंख्यक बाहूल्य जनपदों (हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर) तथा एक राज्य स्तरीय आई0टी0 इनेबल्ड सैल स्थापित किये जाने हेतु संलग्न विभिन्न मदों में **रुपये 7,84,789/– (रुपये सात लाख चौरासी हजार सात सौ उन्नसी मात्र)** की धनराशि अवमुक्त की गयी है। अतः अनुदान संख्या–15 के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित मल्टी सेक्टोरल डिस्टिक्ट डेवलपमेन्ट योजना (100% के0स0) योजना में प्राविधानित धनराशि में से **संलग्न–1** के अनुसार उल्लिखित कार्यों हेतु **रुपये 7,84,789 /– (रुपये सात लाख चौरासी हजार सात सौ उन्नासी मात्र)** की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुये व्यय करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. शासनस्तर पर प्रस्तावित आई0टी0 सैल की धनराशि सचिव, मुस्लिम एजुकेशन मिशन, देहरादून कार्यालय द्वारा उपयोग में लायी जायेगी तथा दोनों जनपदस्तरीय सैल की स्थापना संबंधी धनराशि जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर को इस आशय से हस्तान्तरित की जायेगी कि वे भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार **(परिशिष्ट–'क' के अनुरूप)** आई0टी0सैल की स्थापना सुनिश्चित करें।

3. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका बजट मैनुअल के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए। विभिन्न उपकरणों/फर्नीचर आदि के क्रय के संबंध में क्रय की समस्त प्राथमिक कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त ही धनराशि आहरित/व्यय की जायेगी।

4. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लें कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में, चाहे वह वेतन आदि के संबंध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में, सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षकों को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी ओर लाल स्याही से अनुदान संख्या तथा आयोजनागत शब्द स्पष्ट लिया जाए अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

5. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों के अंतर्गत समय–सारिणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम) के आय–व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा समसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

7. यह उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के लेखाशीर्षक 2250–अन्य सामाजिक सेवायें–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें–0101–अल्पसंख्यक समुदाय हेतु मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट योजना (100% के0स0) के मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

9. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्याः–66(P)/XXVII(3)/2010, दिनांक 14 मई, 2010 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0 के0 चौहान)
अनु सचिव।

657

पृष्ठांकन संख्याः– (1)/XVII-3/10-07(22)/09 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, हल्द्वानी–नैनीताल।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर।
8. सचिव, मुस्लिम एजुकेशन मिशन, देहरादून।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी–हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर।
10. वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
11. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(आर0 के0 चौहान)
अनु सचिव।